



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 24.10.2024

थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग से सामूहिक कुकर्म करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि दिनांक 22.10.2024 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण द्वारा नाबालिग से सामूहिक कुकर्म किये जाने के सम्बन्ध में पीडित के परिजन द्वारा थाना कांधला पर लिखित तहरीर दी थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कांधला को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 24.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग से सामूहिक कुकर्म करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1.कामिल पुत्र युसूफ निवासी ग्राम गढी दौलत थाना कांधला जनपद शामली।
- 2.असजद पुत्र रुकमदीन निवासी ग्राम गढी दौलत थाना कांधला जनपद शामली



थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि दिनांक 18.10.2024 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना कांधला पर लिखित तहरीर दी थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कांधला को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 24.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.सुमित पुत्र नबाब निवासी ग्राम भारसी थाना कांधला जनपद शामली।



थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बन्तीखेड़ा में व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर देने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि दिनांक 06.10.2024 को वादिया श्रीमती ममती पत्नी श्री सुनील कुमार भारती निवासी ग्राम बन्तीखेड़ा थाना बाबरी जनपद शामली के पति को अभियुक्तगण द्वारा धारदार हथियार से जानलेवा हमला गम्भीर रूप से घायल कर देने व जान से मारने की धमकी देते हुये भाग जाने के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। थाना बाबरी पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 24.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बन्तीखेड़ा में व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर देने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.सुधीर पुत्र ओमसिंह निवासी ग्राम बन्तीखेड़ा थाना बाबरी जनपद शामली।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामद:-

आज दिनांक 24.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. विशाल उर्फ छोटू पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम खेडी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 139/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 व 10 यू0पी0 गुन्डा अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 247/2022 धारा 392/411/506 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
3. मु0अ0सं0 276/2022 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
4. मु0अ0सं0 128/2022 धारा 394/411 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
5. मु0अ0सं0 445/2020 धारा 307/458/504/506 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
6. मु0अ0सं0 485/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
7. मु0अ0सं0 615/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



थाना झिंझाना/कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 24.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना/कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1.धनसिंह पुत्र रामनाथ बावरिया निवासी ग्राम खानपुर कलां थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2.शिवा पुत्र सतबीर निवासी ग्राम मुण्डेट थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 08 अलग-अलग मामलों में 10 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 19,100/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

1. वर्ष 2001 में अभियुक्त संजय पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम कण्डेला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 20/2001 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 24.10.2024 को माननीय न्यायालय CJSD/ACJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल में बितायी गयी अवधि व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारवास की सजा का प्रावधान किया गया है।
2. वर्ष 2023 में अभियुक्त नौशाद पुत्र इकबाल निवासी दुल्लाखेडी थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध थाना गढ़ीपुख्ता पर मु0अ0सं0 35/2023 धारा 13 जुआँ अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 24.10.2024 को माननीय न्यायालय CJSD/ACJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में 1,00/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
3. वर्ष 2024 में अभियुक्त नितिन पुत्र देशराज निवासी ग्राम लोहड़ा थाना बड़ौत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना आरपीएफ शामली पर मु0अ0सं0 229/2024 धारा 160(2) रेलवे अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 24.10.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में न्यायालय उठने तक की सजा व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारवास की सजा का प्रावधान किया गया है।
4. वर्ष 2024 में अभियुक्त प्रदीप पुत्र रामपाल निवासी ग्राम जलालपुर थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली के विरुद्ध थाना आरपीएफ शामली पर मु0अ0सं0 01/2024 धारा 03 रेलवे अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 24.10.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गयी अवधि व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारवास की सजा का प्रावधान किया गया है।
5. वर्ष 2017 में अभियुक्त जब्बार पुत्र इकराम निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 389/2017 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 24.10.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गयी अवधि व 6,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त कारवास की सजा का प्रावधान किया गया है।
6. वर्ष 1994 में अभियुक्त सुन्दर पुत्र धुम्मन सिंह निवासी ग्राम कण्डेला शेखुपुरा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 370/1994 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 24.10.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गयी अवधि व 2,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारवास की सजा का प्रावधान किया गया है।

7. वर्ष 2014 में अभियुक्तगण 1.देवीकरण पुत्र चौहल 2.नरेन्द्र पुत्र सतपाल 3.भूरा पुत्र सतपाल निवासीगण ग्राम झाड़खेड़ी थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 923/2014 धारा 323/353/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 24.10.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में 2,000-2,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारवास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

8. वर्ष 1998 में अभियुक्त सुरेश पुत्र खुशीराम निवासी ग्राम पुरसी थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध थाना जीआरपी शामली पर मु0अ0सं0 10/1998 धारा 393 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 24.10.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गयी अवधि व 2,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त कारवास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

- 1.संजय पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम कण्डेला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 2.अभियुक्त नौशाद पुत्र इकबाल निवासी दुल्लाखेड़ी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।
- 3.अभियुक्त नितिन पुत्र देशराज निवासी ग्राम लोहड़ा थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 4.अभियुक्त प्रदीप पुत्र रामपाल निवासी ग्राम जलालपुर थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली ।
- 5.जब्बार पुत्र इकराम निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली ।
- 6.सुन्दर पुत्र धुम्मन सिंह निवासी ग्राम कण्डेला शेखुपुरा थाना कोतवाली शामली ।
- 7.देवीकरण पुत्र चौहल निवासी ग्राम झाड़खेड़ी थाना कैराना जनपद शामली ।
- 8.नरेन्द्र पुत्र सतपाल निवासी ग्राम झाड़खेड़ी थाना कैराना जनपद शामली ।
- 9.भूरा पुत्र सतपाल निवासी ग्राम झाड़खेड़ी थाना कैराना जनपद शामली ।
- 10.सुरेश पुत्र खुशीराम निवासी ग्राम पुरसी थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI